न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : **श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : **72/2021**

GCMS No. : **2021/113**

वादी :–	**बनाम**	**प्रतिवादी :–**
1. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार जैतारण।		1.आईदान घासल पुत्र पूसाराम घासल जाति जाट निवासी झडाउकलां तहसील रियांबडी जिला नागौर।

राजस्व वाद पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू –: 24/09/2019

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण, पैरोकार सरकार।
2. श्री मेवराज कुमावत, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉक :– 30/05/2022**

वादी राज्य सरकार की ओर से भूमि अधिकारी तहसीलदार जैतारण ने दावा पेश कर निवेदन किया कि भूमि हाल खसरा नम्बर 17/1 रकबा 0.2023 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल मौजा हिंगाणिया पटवार मण्डल बलाडा में स्थित है। उक्त आराजी का वादी लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादी आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी ने वादपत्र में वर्णित जमीन को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त रकबा 0.083 हैक्टर जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादी को हक नहीं है। प्रतिवादी ने राजस्थान काश्तकारी कानुन के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादी द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादी को वादपत्र में वर्णित जमीन से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। दावा हाजा के लिए बिनाय मुख्यासमत दिनांक 14.09.2021 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का बलाडा ने वादी का प्रतिवादी द्वारा वादपत्र में वर्णित जमीन से अवैध रूप से अकृषि वाणिज्यिक (गैस गोदाम) प्रयोजनार्थ का कार्य करने की सूचना जरिये रिपोर्ट दी।

इस पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, सा. मि. है। प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा पेश किया गया, सा.[illegible]

प्रतिवादी ने अपने जवाब दावा में क[illegible] किया कि वादपत्र का पद संख्या 1 सही है कि भूमि हाल खसरा नम्बर 17/1 रकबा 0.2023 है॰ किस्म बा.अ.

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 20:05:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

हिंगाणिया पटवार मण्डल बलाडा में स्थित है। प्रतिवादी आराजी का खातेदार काश्तकार है। वाद का पद संख्या 2 पूर्णतया गलत व बेबुनियाद है जिसे प्रतिवादी नामंजूर करता है। प्रतिवादी ने उक्त भूमि को परिवर्तन कराने हेतु भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु फाईल तैयार कर दी थी। लेकिन कोरोना काल व पटवारी हल्का की हडताल के चलते उक्त भूमि को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु देरी हुई है राजस्थान सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुॅचाया है। उक्त भूमि का संपरिवर्तन कराने हेतु आज भी तैयार है। जो भी संपरिवर्तन की राशि बनती है वो भी प्रतिवादी राजस्थान सरकार को अदा करने को तैयार है। वादपत्र का पद संख्या 3 पूर्णतया गलत है जिसे प्रतिवादी नामंजूर करता है। प्रतिवादी राजस्थान टीनेन्सी की शर्तो का भंग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रतिवादी अपनी संपरिवर्तन करवाने हेतु प्रक्रिया चालू है तो उक्त भूमि से बेदखल एवं पाबन्द करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बिनाय दावा दिनांक 14.09.2021 को पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। पटवारी हल्का बलाड़ा से उक्त भूमि का संपरिवर्तन करवाने कोरोना होने से समय पर उक्त संपरिवर्तन नहीं हो सका, जल्द ही उक्त भूमि का संपरिवर्तन करवाकर श्रीमान् के न्यायालय में उक्त कार्यवाही की नकल प्रस्तुत कर दी जायेगी। राजस्थान सरकार के नये नियमानुसार अब खातेदार अपनी भूमि को बिना संपरिवर्तन अनुसार भी उपयोग उपभोग कर सकता है। अतः प्रतिवादी जवाबदावा पेश कर निवेदन है कि उक्त जवाबदावा के आधार पर वाद को मय खर्चे खारिज फरमावें।

बहस सरकारी पैरोकार एवं वकील प्रतिवादी राजस्व वाद पत्र बाबत् अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार है-

1. तहसीलदार, जैतारण ने हस्तगत दावा अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हिंगाणिया स्थित वादग्रस्त खसरा नम्बर 17/1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि में से प्रतिवादी ने 0.083 हैक्टेयर जमीन को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाएं वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ खुर्द-बुर्द कर रहे है। प्रतिवादी द्वारा उक्त भूमि का बिना संपरिवर्तन करवाये भूमि की किस्म को परिवर्तित किया जा रहा है। अतः वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। वादपत्र के साथ प्रस्तुत मौका फर्द दिनांक 14/09/2021 के अंकन अनुसार प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी के 830 वर्गमीटर क्षैत्रफल की भूमि पर बिना संपरिवर्तन करवाए HP गैस गोदाम का पक्का निर्माण कर दिया गया है।
2. प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा में वादी के कथनों का खण्डन करते हुए यह कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाने हेतु फाईल तैयार कर दी थी लेकिन कोरोना काल व पटवारी हल्का की हड़ताल के चलते उक्त भूमि के वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन की कार्यवाही में देरी हुई है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी ने यह कथन किया गया कि प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenyey
Date: 2022.10.06 20:05:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

संपरिवर्तन करवाने व संपरिवर्तन की जो राशि बनती है वह वादी राजस्थान सरकार को अदा करने को तैयार है।

3. प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 178(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि सरहद मौजा हिंगाणिया पटवार हल्का बलाडा खसरा संख्या 17/1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु आवेदन कर दिया गया है जो अंतिम प्रक्रिया में लंबित है। अतः संपरिवर्तन बाबत् अनुमति प्रदान कर प्रकरण को ड्रोप करवाने हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादी को सक्षम प्राधिकारी से नियमानुसार संपरिवर्तन की अनुज्ञा प्राप्त करने की अनुमति दी गई तथा संबंधित दस्तावेज पेश करने हेतु निर्देशित किया गया।

4. प्रतिवादी ने प्रार्थना–पत्र वास्ते संपरिवर्तन आदेश की प्रति पेश करने बाबत् व हस्तगत प्रकरण ड्रोप करने बाबत् पेश किया व इससे संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश की प्रति व संपरिवर्तनसुदा वाणिज्यिक (गैस गोदाम) प्रयोजनार्थ भूमि का पंजीयन विलेख की प्रति प्रस्तुत की गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज यथा संपरिवर्तन आदेश की प्रति दिनांक 09/02/2022 की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 17/1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर किस्म बारानी अव्वल का नियमानुसार संपरिवर्तन शुल्क जमा कर संपरिवर्तन करवा लिया गया है। अतः प्रतिवादी द्वारा प्रश्नगत आराजी खसरा संख्या 17/1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर का संपरिवर्तन होने से अब इस वाद में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से प्रकरण ड्रोप किया जाना विधिसंगत एवं उचित रहेगा।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि वादी का वाद अस्वीकार किया जाना उचित रहेगा।

–: आदेश :–

अतः निष्कर्षतः वाद वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखुबी साबित नहीं होने एवं कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री जारी हो, जो कि इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 30/05/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 20:05:11 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मुकामः– जैतारण

बईजलास :– श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

वादी :–	बनाम	प्रतिवादी :–
1. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार जैतारण।		1. आईदान घासल पुत्र पूसाराम घासल जाति जाट निवासी झडाउकलां तहसील रियांबडी जिला नागौर।

मु0न0 :रा0प्रा0पत्र स0: 72/2021

राजस्व प्रार्थना–पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी तहसीलदार जैतारण, सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह श्री मेवराज कुमावत, अधिवक्ता, प्रतिवादी पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी अंतर्गत धारा–177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखुबी साबित नहीं होने एवं कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कद्र निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **30/05/2022** को जारी किया गया।

मोहर

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), जैतारण
जिला–पाली (राज0)

मुद्धई	रूपये पैसे	मुद्धायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	0.00	स्टाम्प वकालतनामा	2.00
स्टाम्प वकालतनामा	0.00	स्टाम्प अर्जी	4.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	0.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	0.00	मिजानः–	6.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा जो कि इस डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.10.06 20:05:11 IST
Reason: SelfAttested